अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं0 234(II) / 2016–17

वाद का प्रकार – बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबधित।

18/10/16

पदाधिकारी आदेश

झारखण्ड सरकार के ज्ञापाक 2074/रा0 दिनाक 12.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन– सह – विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सख्या– 3 – खा0म0निति – 119/85/2308/रा0 दिनाक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र सख्या – 914/रा0 दिनाक 09.12.1998 मे निहित निदेश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियो की जॉच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम मे हल्का राजस्व कर्मचारी एव प्र0अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नाकित विवरणी की भूमि :–
मौजा मटपोखरा थाना न0 16 खाता न0 128
प्लॉट न0 157, 808, 816 अन्य रकवा 1.39 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 .... के पृष्ट सख्या 217 पर जमाबंदी रैयत [illegible] के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उदेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलख दिनांक 5/11/16 को उपस्थापित करे।

18/10

अंचल अधिकारी,
तोपचाँची

Scanned with CamScanner

27/11/2020

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का मॉंग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा मटकुरिया मौजा नं० 16 खाता नं० 128 प्लॉट नं० 157, 808, 816, 130 एवं अन्य रकबा 1.39 से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरुआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी II के जमाबंदी भोलुम नं० .... के पृष्ट सं० 217 में रैयत बिफन मांझी पिता शारदा मांझी सा० – मटकुरिया, तोपचाँची .... के नाम से कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्रॉधिकार कॉलम में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर /सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्वेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त .... किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

27/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉंची।

27/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉंची।

Scanned with CamScanner

234(11)16-17

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम – [illegible]
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण –

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
[illegible]	76	128	157, 808, 816, 1130, 1135, 1677, 1908, 1971	1.390

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या.............. पृष्ठ सं०– 217 पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 88-89
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम – झारखण्ड सरकार
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है – [illegible]
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम –
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती बन्दोबस्ती अभिलेख सं० 25(11)88-89 [illegible]
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	134049	17.12.88	88-89
2	628809	15-11-97	92-93 से 97-98 तक

[signatures] 18/4